''और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन करेगा वह बड़ी सफलता प्राप्त करेगा।''

समाज सुधार प्रकाशण श्रंखला 4

इस्लाम और सूद

सूद खाना और सूदी व्यापार करना अल्लाह के क्रोध को निमंत्रण देना है

मौलाना अरशद मदनी

अध्यक्ष, जमीअत उलमा-ए-हिन्द

प्रकाशक

जमीअत उलमा-ए-हिन्द

1-बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-2

इस्लाम और सूद

सूद खाना और सूदी व्यापार करना अल्लाह के क्रोध का निमंत्रण देना है

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

अल्लाह ने पवित्र क़ुरआन में फ़रमाया है:

﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾. (سوۂ آل عمران: 130)

''ऐ ईमान वालो! दोने पर दोना (अर्थात कई गुना अधिक) सूद मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हारा भला हो''

दोने पर दोने का यह अर्थ नहीं है कि थोड़ा सूद ले लिया करो, बल्कि दोने पर दोना न लो का अर्थ यह है कि इस्लाम से पहले सूद उसी प्रकार से लिया जाता था जैसे भारत के बनिये लेते हैं। हज़ार रुपये दिये, सूद पर सूद बढ़ाते चले गए यहां तक कि हज़ार रुपये के बदले में लाखों रुपये की संपत्ति को हड़प कर गए, इसी स्थिति को क़ुरआन में दोने पर दोना से व्याख्या की है। अर्थ यह हुआ कि पहले तो सूद निश्चित रूप से हराम है चाहे कम से कम ही क्यों न हो (जैसा कि क़ुरआन व हदीस में फ़रमाया गया है, इसका विवरण आगे आरहा है) और यह

सूरत तो बहुत ही अधिक हराम और बुरी है कि दोने पर दोना लिया जाये, यह ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि ''मस्जिद में गालियां मत बको'' इसका यह अर्थ नहीं है कि मस्जिद के बाहर गाली बकने की अनुमति है बल्कि बहुत अधिक बुराई बयान करने के लिये इस प्रकार के शब्द बोले जाते हैं।

(मआरिफ़ुल क़ुरआन)

﴿اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

(سورۂ بقرہ، آیت275)

''जो लोग सूद खाते हैं उस व्यक्ति की तरह खड़े होंगे जिसको शैतान ने लिपट कर पागल बना दिया हो, यह सज़ा इसलिये होगी कि इन लोगों ने कहा था कि बैअ (ख़रीद-ओ-फ़रोख़्त) भी तो सूद की तरह है, हालांकि अल्लाह ने बैअ को हलाल फ़रमाया है और सूद को हराम कर दिया है''

अर्थात यह लोग अपनी क़ब्रों से क़यामत के दिन खड़े होंगे तो शैतान द्वारा पागल बनाए हुए लोगों की तरह बकवास करते हुए और पागलों जैसे काम करने से पहचाने जाऐंगे। सारी दुनिया के लोग तो उठकर महशर के मैदान की ओर चलने लगेंगे और सूदख़ोर चल नहीं पाएगा, पागलों की तरह उठेगा, गिरेगा, फिर उठेगा और गिरेगा। यह लोग चाहेंगे कि लोगों के साथ चलें लेकिन चल नहीं पाएंगे, और यह बुरा हाल इसलिये होगा कि इन लोगों ने दो अपराध किये:

(1) सूद के माध्यम से हराम माल खाया

(2) सूद को हलाल समझा और हराम बताने वालों के जवाब में कहा कि ख़रीद-फ़रोख़्त भी तो सूद ही की तरह है क्योंकि दोनों से लाभ मिलता है। इसलिये अगर सूद हराम है तो ख़रीद-फ़रोख़्त भी हराम होना चाहिये, हालांकि दोनों में बड़ा अंतर है। ख़रीद-फ़रोख्त में जो लाभ होता है वह माल के मुकाबले में होता है। जैसे किसी ने एक रुपये का कपड़ा दो रुपये में बेच दिया। जबकि सूद वह होता है जिसमें लाभ मुफ़्त मिले जैसे एक रुपया से दो रुपये ख़रीद लिये। पहली सूरत में चूंकि कपड़ा और रुपया दो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं और लाभ और उद्देश्य दोनों के भिन्न हैं इसलिये उनमें आपस में बराबरी संभव नहीं है। ख़रीद-फ़रोख़्त करने में पैसा और ख़रीदी हुई चीज़ में बराबरी अपनी अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकती। आवश्यकता हर व्यक्ति की दूसरे के मुक़ाबले में बहुत भिन्न और अलग होती है। किसी व्यक्ति को एक रुपये की इतनी आवश्यकता होती है कि दस रुपये के कपड़े की भी उतनी नहीं होती और किसी व्यक्ति को एक ऐसे कपड़े की जो बाज़ार में एक रुपये का बिकता है इतनी ज़रूरत हो सकती है कि दस रुपये की उतनी ज़रूरत नहीं होती, तो अब अगर कोई व्यक्ति एक कपड़े को एक रुपये में ख़रीद लेगा तो उसमें सूद अर्थात ऐसा लाभ जो बदले से खाली हो, नहीं होगा और अगर मान लीजिये उसी कपड़े को एक हज़ार में ख़रीद लेगा तो सूद नहीं हो सकता क्योंकि रुपये और कपड़े में बराबरी नहीं है और अगर है तो आवश्यकता के अनुसार संभव है। आवश्यकता में हर व्यक्ति के अनुसार इतनी कमी और ज़्यादती है कि इसको समेटना संभव नहीं इसलिये सूद कैसे होगा, हां अगर एक रुपये को दो रुपये के बदले में

बेचेगा तो यहां बराबरी संभव है जिसके कारण एक रुपया तो रुपया के मुक़ाबिले में होगा और दूसरा रुपया बदले से ख़ाली हो कर सूद हो जाएगा और इस्लाम में यह मामला हराम होगा।

(हज़रत शैख़ुल हिन्द)

अल्लाह तआला ने इस आयत में उन लोगों के तर्कसंगत संदेह का उत्तर तर्कसंगत रूप में नहीं बल्कि विज्ञानिक रूप में दिया है अर्थात समस्त संसार को पैदा करने वाला अल्लाह ही है और वही हर चीज़ के लाभ-हानि और भले-बुरे को जानने वाला है। जब उसने एक को हलाल और दूसरे को हराम कर दिया तो समझ लो कि जिस चीज़ को हराम किया है अवश्य उसमें कोई न कोई बुराई और नुक़सान है चाहे साधारण मनुष्य उसका अनुभव न करे क्योंकि समस्त संसार की प्रणाली की पूर्ण वास्तकिता और लाभ-हानि को वही समझ सकता है जिससे संसार का कोई कण छिपा हुआ नहीं है। दुनिया के लोग अपने अपने हित और हानि को तो जान सकते हैं लेकिन समस्त संसार के लाभ-हानि को नहीं समझ सकते। (मआरिफ़ल क़ुरआन)

एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैंने आज रात दो व्यक्तियों को देखा कि वह मेरे पास आए और मुझे लेकर चले तो हम एक खून की नदी पर पहुंचे जिसके बीच में एक व्यक्ति खड़ा था और एक व्यक्ति उस नदी के किनारे पर खड़ा था, उसके सामने पत्थर पड़े हुए थे। जब भी बीच वाला व्यक्ति नदी से निकलने के लिये किनारे की ओर आता था तो किनारे खड़ा व्यक्ति उसके सिर पर पत्थर मारता था और यह व्यक्ति फिर वहीं नदी के बीच में चला जाता था। मैंने अपने दोनों साथियों से पूछा कि यह कौन व्यक्ति है तो उन्होंने कहा कि यह सूदख़ोर है जिसको इस प्रकार

से यातना दी जा रही है। (बुख़ारी संक्षिप्त)

सोचने की बात है कि जब क़यामत से पहले 'बर्ज़ख़' (मुत्यु और क़यामत के बीच का संसार) में सूदख़ोर को यह यातना दी जा रही है तो क़यामत के दिन कितनी यातना होगी। इसके साथ साथ यह व्यक्ति शापित भी है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "सूद खाने वाले, खिलाने वाले, लिखवाने वाले और गवाह बनने वाले सब पर अभिशाप है। (मुस्लिम शरीफ़)

हज़रत अबदुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ि. ने एक हदीस बयान की है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह बयान भी नक़ल किया है कि किसी भी समुदाय में बलात्कार और सूदख़ोरी आम नहीं हुई मगर यह कि उन्होंने अल्लाह की यातना के द्वार को अपनी ऊपर खोल लिया। (अबू यअ्ला)

आज दुनिया में सूद का रिवाज इतना आम है कि लोगों का बचना कठिन है। मनुष्य इस पाप को पाप नहीं समझता, कुछ ही अल्लाह के ऐसे बंदे होंगे जो इस भयंकर पाप से सुरक्षित होंगे। यहां तक कि पीड़ा एवं निरादर का भी एक सैलाब है, जिससे कोई बचा हुआ नज़र नहीं आता।

हज़रत अबदुल्लाह इब्ने हंज़ला रज़ियल्लाहु अनहु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है: सूद का एक दिरहम जिसको मनुष्य सूद समझ कर खाता है, 36 बार बलात्कार करने से भी अधिक भयंकर पाप है।

(रवाहु अहमद)

बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अनहु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि सूद के (कमी, अधिकता और वस्तुओं के अनुसार) 72 (अर्थात

असंख्य) द्वार हैं। छोटे से छोटा द्वार पाप के अनुपात में ऐसा है जैसे किसी ने अपनी माँ के साथ मुंह काला किया और सूद में सबसे बढ़ा हुआ सूद (पाप के अनुपात में) मनुष्य का अपने भाई का निरादर, अपमान और दुर्व्यवहार करना है)

हज़रत अबदुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अनहु फ़रमाते हैं कि सूद (कमी और अधिकता आदि के अनुपात में) 72 प्रकार के पाप रखता है, जिनमें छोटे से छोटा पाप इस्लाम में रहते हुए अपनी माँ से मुंह काला करने के समान है और सूद का एक दिरहम 30 बार से भी अधिक मुंह काला करने के समान है। और यह भी फ़रमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन अच्छे और बुरे दोनों को खड़े रहने का आदेश देंगे (चुनांचे वह खड़े रहेंगे) सिवाए सूद खाने वालों के कि वह भूतग्रस्त पागल व्यक्ति की तरह खड़ा नहीं हो सकेगा। खड़ा होगा, गिरेगा, खड़ा होगा ,गिरेगा। (शरहुस्सुन्नह)

हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अनहु फ़रमाते हैं कि सूद देने वाला और सूद लेने वाला दोनों नरक में जलेंगे।

हज़रत कत़दा रज़ि. फ़रमाते हैं कि सूदख़ोर क़यामत के दिन पागल बनाकर ज़िंदा किया जाएगा। क़यामत के दिन सूदख़ोरों की यह विशेषता होगी जिससे महशर के मैदान में लोग सूदख़ोरों को पहचानेंगे।

हज़रत अबदुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं, अगर तुम्हारा किसी व्यक्ति पर उधार है और वह तुमको कोई उपहार दे तो उसको न लो, वह भी गोया सूद है। (शरहुस्सुन्नह)

हज़रत हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि अगर तुम्हारा किसी व्यक्ति पर उधार है तो तुम्हारा उसके घर से कुछ भी खाना हराम है। बल्कि हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. फ़रमाते हैं कि अगर

किसी व्यक्ति ने किसी की सिफ़ारिश की और सिफ़ारिश पर उसने सिफ़ारिश करने वाले को उपहार दिया तो वह हराम है।

अबू दाउद की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अनहु के बयान का प्रमाण मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस व्यक्ति ने किसी की सिफ़ारिश की और उस व्यक्ति ने सिफ़ारिश पर कुछ उपहार दिया जिसको उस सिफ़ारिश करने वाले ने स्वीकार कर लिया तो स्वीकार करने वाले ने बहुत बड़ा सूद खाया।

इस ज़माने में बैंकों की सारी प्रणाली सूद पर खड़ी है, व्यापारी व्यक्ति का सूद से बचना बड़ा कठिन है लेकिन ध्यान दिया जाये तो मालूम हो जाएगा कि यह कठिन अवश्य है परन्तु असंभव नहीं है। अल्लाह के वह बंदे जो हराम कमाई से बचते हैं और केवल हलाल कमाई ही करना चाहते हैं, आज भी सूद से बचते हैं और अल्लाह की दया के पात्र हैं।

❑❑